

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 08/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट सिरौही जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरौही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरौही
2. अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.2022 को औडा से अन्दौर की तरफ तालाब के पास एक जीप नं. आरजे 30 सी 0093 के पीछे रखे 05 प्लास्टिक के ड्रम में प्रत्येक में 200-200 लीटर लगभग 1000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।



प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा ने कालतनाम पेश किया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरौही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 09.04.2022 को औडा से अन्दौर की तरफ तालाब के पास अन्दौर साईड से आते हुए श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरौही द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक जीप नं. आरजे 30 सी 0093 की पिछली बॉडी के अन्दर 05 प्लास्टिक के ड्रम में प्रत्येक में 200-200 लीटर पेट्रोल लगभग 1000 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 1000 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित विल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के पेट्रोल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा

Bello
जिला कलक्टर, सिरौही


अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए हैं। अतः पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त पेट्रोल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे। उनके द्वारा निवेदन किया कि उक्त पेट्रोल को यदि जब्त सरकार किया गया तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है अतः कब्जे सरकार लिये गये समस्त पेट्रोल को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 09.04.2022 को औडा से अन्दौर की तरफ तालाब के पास अन्दौर साईड से आते हुए श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरौही द्वारा पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे से एक जीप नं. आरजे 30 सी 0093 की पिछली बॉडी के अन्दर 05 प्लास्टिक के ड्रम में प्रत्येक में 200-200 लीटर पेट्रोल लगभग 1000 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी से उक्त पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर तथा अपने कुए पर ड्रमों में इकट्ठा करना व आगे भीनमाल में अलग-अलग जगहों पर बेचना बताया। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त पेट्रोल अप्रार्थी के मालिकी स्वामित्व का है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल को बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से इकट्ठा करके बेचान किया जा रहा था। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 2250 लीटर पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1000 लीटर पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने के आदेश इस न्यायालय द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/766-767 दिनांक 11.07.2022 को किए जा चुके हैं। अतः जिला रसद अधिकारी, सिरौही उक्त राशि को उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 02/08/2023 को सरे इजलास सुनाया गया



Bulla
(डॉ. भवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही